



2026:AHC:49469

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - बी सं. - 586 वर्ष 2026

राम जी @ लाल जी

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अश्विनी कुमार, गणेश शंकर श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

“प्रतिवादी संख्या-2 चकबन्दी अधिकारी प्रथम, वाराणसी, जनपद वाराणसी को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे वाद संख्या 787/126/133/316, धारा 9-का(2), उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, ग्राम बिशुनपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जनपद वाराणसी को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णयित करें।”

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उपर्युक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी कर दिया जाए।
4. उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस प्रकरण को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय यह उपयुक्त समझता है कि वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए, बिना इस रिट याचिका में उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए हुए, तथा प्रतिवादी संख्या-2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद का निर्णय विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हुए, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **पाँच माह** की अवधि के भीतर करें।

5. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका **अंतिम रूप से निस्तारित** की जाती है।

11 मार्च, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।